

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- 15 / 14-1, बरेली, दिनांक, 03 / जुलाई / 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /  
नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद बरेली में बरेली-पीलीभीत मार्ग, 33/11 के 0वी0 विधुत उपकेन्द्र सिविल इन्कलेव (एयरपोर्ट) बरेली पर प्रस्तावित 33/11 के 0वी विधुत उपकेन्द्र हेतु 33 के 0वी लाइन भूमिगत डाले जाने में प्रभावित 0.0714 है0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक शून्य वृक्षों के पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव । (Online Proposal No.FP/UP/Others/123011/2021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 2958/11-सी, दिनांक 15.06.2021  
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रस्ताव में वर्णित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली ने अपने पत्रांक 4727/14-1 दिनांक 25-06-2021 के द्वारा आपत्तियों का निराकरण विन्दुवार आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त विन्दुवार आख्या निम्न प्रकार संस्तुति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्रम सं०	इंगित आपत्तियाँ	आपत्तियों का निस्तारण
01	प्रश्नगत प्रस्ताव पर भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 27.07.2020 यदि प्रभावी है तो प्रस्ताव में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है ?	भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 27.07.2020 का प्रभागीय कार्यालय को संज्ञान न होने के कारण प्रस्ताव में उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लेख नहीं किया गया।
02	यूजर एंजेन्सी से सी0ए0 किन परिस्थितियों में चार्ज किया जा रहा है ?	भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 27.07.2020 में क्षतिपूरक वनीकरण से छूट प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्ताव अन्तर्गत क्षतिपूरक वनीकरण सम्बन्धी वचनबद्धता तथा प्राक्कलन आदि संलग्न किया गया है, प्रस्ताव विभाग से किसी भी प्रकार की कोई भी धनराशि जमा नहीं करायी गयी है। अग्रेत्तर कार्यवाही अग्रिम आदेशों के अधीन की जायेगी।

भवदीय,

  
( जावेद अख्तर )

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- 15 (1)/14-1, दिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, बरेली को उनके पत्रांक 4727/14-1 दिनांक 25-06-2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, विधुत माध्यमिक कार्य खण्ड, मध्यांचल विधुत वितरण निगम लि0 बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
( जावेद अख्तर )

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।